

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री रतन लाल जाट निवासी सहाडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :- 148/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.11.2025	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक 17.10.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।</li><li>लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 192 दिनांक 10-11-2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना/जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 161 दिनांक 22.09.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 12-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



जिला कलक्टर (संघ)

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा